उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

SE UNISIDE

यूपीएराआईडीसी काम्पलेक्स ए 1/4, लखनपुर, पोस्ट बाक्स में0 1050, कामपुर--208 024 दूरगाव : 2582851-53 फीक्स : (0512) 2580797 वैक्साईट : www.upside.com

feedback@upsidc.com

ई मेल :

सन्दर्भ सं0

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/

दनाक

-: कार्यालय आदेश:-

निगम निदेशक मण्डल की दिनांक 07.8.15 को सम्पन्न 287वीं बैठक में निगम के औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव शुक्क को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये रख-रखाव शुल्क में वृद्धि निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से सभी आवंटियाँ पर लागू की गयी ਵੈ:--

क्र.	10			
が. ぜ.	औद्योगिक	वर्तमान	प्रस्तावित	टिप्पणी
۲۱.	क्षेत्र की श्रेणी	रख-रखाव शुल्क	रख-रखाव शुल्क	
		दर	दर	
		(प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष)	(प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष)	
1	2	3	4	5
1	अति तीव्रगामी	₹0 8/-	₹50 40 / -	अधिकतम शुल्क की सीमा रू० 3.00 लाख प्रतिवर्ष होगी
2	तीव्रगामी	₹0 8/-	₹50 40 / -	अधिकतम शुल्क की सीमा रू० 3.00 लाख प्रतिवर्ष होगी
3	धीमी गति	₹0 2/-	₹0 20/-	अधिकतम शुल्क की सीमा रू० 1.50 लाख प्रतिवर्ष होगी

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक RED 31-8-15

संख्या 1611-14 एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यूम-16 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव एवं समस्त अनुभागाध्यक्ष , उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।

2. महा प्रयन्धक (विकास) को इस आशय से प्रेषित कि निगम की वेबसाईट पर उपरोक्त आदेश को लोड कराना सुनिश्चित करे।

3. समरत क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

४ सगरत अधिकारी / कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, (औ० क्षे०), मुख्यालय, कानपुर।

542 (SK) /5V

(मनोज् सिंह) प्रेबन्ध निदेशक